उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-09/2023-24

सरकार

बनाम्

सदानंद यादव वगैरह

–: आदेश :–

दिनांक 11/8/23	सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।
	मामला बोआरीजोर थाना काण्ड संख्या–08/2023 दिनांक–12.03.2023 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने अपने पत्रांक–1359/अप0शा0 दिनांक–31.03.2023 से धारा–414/34 भा0द0वि0, खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट–1973 के तहत कांड में जप्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17U-3868, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–BR10AH-0803 एवं 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Y-1938 तथा उस पर लदे कोयला को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।
	पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी स0अ0नि0, बोआरीजोर के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17U-3868, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–BR10AH-0803 एवं 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Y-1938, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से कोयला की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–414/34 भा0द0वि0, खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट–1973 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17U-3868, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–BR10AH-0803 एवं 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Y-1938, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17U-3868, के मालिक सदानंद यादव,

पे0—विन्देश्वरी यादव, सा0—बकिया दियरा, थाना—बरारी, जिला—कटिहार, बिहार, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0—BR10AH-0803, के मालिक ललिता देवी, पति—शंकार यादव, सा0—पुरानी बाराहाट, थाना—ईशीपुर, जिला—भागलपुर, बिहार एवं 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0—JH17Y-1938, के मालिक अरविन्द यादव, पे0—वकील यादव, सा0—बाराहाट, थाना—ईशीपुर, जिला—भागलपुर, बिहार, के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0—JH17U-3868, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0—BR10AH-0803 एवं 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0—JH17Y-1938 एवं उस पर लदे कोयला के विरूद्ध धारा—414/34 भा0द0वि0, खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट—1973 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त चार विपक्षीयों में से दो विपक्षी अरविन्द यादव एवं ललिता देवी की ओर से कारण—पृच्छा दाखिल किया गया है।

विपक्षी अरविन्द यादव का कथन है कि विपक्षी करमाटाड़ से अपने गाँव बाराहाट जा रहा था। उसी क्रम में वह अपना मोटरसाईकिल सड़क पर खड़ा कर पानी पी रहा था। पुलिस ने उसे संदेह के आधार पर जप्त किया गया है। विपक्षी न्यायालय का आदेश का पालन करने के लिए तैयार है। इसलिए जप्त वाहन को राजसात से विमुक्त करने की कृपा की जाय।

विपक्षी ललिता देवी का कथन है कि विपक्षी करमाटाड़ से अपने गाँव बाराहाट जा रहा था। उसी क्रम में वह अपना मोटरसाईकिल सड़क पर खड़ा कर पानी पी रहा था। पुलिस ने उसे संदेह के आधार पर जप्त किया गया है। विपक्षी न्यायालय का आदेश का पालन करने के लिए तैयार है। इसलिए जप्त वाहन को राजसात से विमुक्त करने की कृपा की जाय।

अन्य विपक्षी के द्वारा नोटिश देने के बाद भी कारण—पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है।

सरकारी वकील का कथन है कि जप्त वाहन अवैध कोयला के परिवहन में जप्त किया है। इसलिए राजसात किया जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि को धारा–414/34 भा0द0वि0, खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट–1973 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17U-3868, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–BR10AH-0803 एवं 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Y-1938, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है। जप्ती के समय विपक्षी की ओर से कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है और अभी वर्तमान वाद में भी विपक्षी की ओर से कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में काण्ड में जप्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17U-3868, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–BR10AH-0803 एवं 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Y-1938 एवं उस पर लदे कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा/जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा/जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा/थाना प्रभारी, बोआरीजोर को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा। 11/08/23

उपायुक्त,
गोड्डा। 11/08/23

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.10.11 12:46:42 +05:30
Location: 192.168.1.38